प्रेस नोट / ट्रैफिक एडवाइजरी

यातायात पुलिस लाइन कमिश्नरेट वाराणसी।

दिनांक 31.12.2024 एवं 01.01.2025 को नववर्ष के पूर्व संध्या एवं शुभ अवसर पर कमिश्नरेट वाराणसी में आम जनमानस के सुगम आवागमन हेतु यातायात पुलिस कमिश्नरेट–वाराणसी द्वारा निम्नानुसार ट्रैफिक प्लान एडवाइजरी अनुरोध के साथ जारी किया जा रहा है।

शहर के अंदर का डायवर्जन प्लान :–दिनांक 31.12.2024 को समय–14.00 बजे से रात्रि 01.00 बजे तक एवं दिनांक 01.01.2025 को सुबह 04.00 बजे से 22.00 बजे तक।

1. **बैक आफ बडौदा–** बैंक औफ बडौदा तिराहे से अस्सी के तरफ कोई 4 पहिया/3 पहिया वाहन नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों को रवीन्द्रपुरी की तरफ डायवर्ट कर/सडक के किनारे पार्क करा दिया जायेगा।
2. **अग्रवाल तिराहा** अस्सी तिराहा से आने वाले समस्त प्रकार के वाहनो को अग्रवाल तिराहा से आगे नही जाने दिया जायेगा। इन वाहनो को ब्राडवे होटल की तरफ डायवर्ड कर किनाराम आश्रम के सामने पार्क कराया जायेगा।
3. **ब्राडवे होटल तिराहा–** ब्राडवे होटल तिराहा से किसी भी वाहन को अग्रवाल के तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों को विजया तिराहा के तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा जो जलसंस्थान अथवा खोजवा होकर कमच्छा होकर रथयात्रा को जायेंगे।
4. **भेलूपुर चौराहा –** भेलूपुर चौराहा से 4 पहिया/3 पहिया प्रकार के वाहन को सोनारपुरा के तरफ नहीं जाने दिया जायेगा, इन वाहनों को विजया तिराहा के तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा तथा भेलूपुर चौराहा से रामापुरा चौराहा की तरफ नही जाने दिया जायेगा, इन वाहनों को विजया तिराहा के तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा। थाना भेलूपुर के सामने से हल्के व दो पहिया वाहन रेवड़ी तालाब होते हुये जयनारायण सिंह इण्टर कॉलेज तक आयेंगें और यहॉ ग्राउण्ड में वाहन पार्क करेंगें इसके आगे रामापुरा की तरफ कोई भी वाहन नहीं जायेंगें।
5. **सोनारपुरा चौराहा –** सोनारपुरा चौराहो से किसी भी प्रकार के चार/तीन पहिया वाहनों को गोदौलिया की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों को भेलूपुर की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा।
6. **गुरूबाग तिराहा –** गुरूबाग तिराहा से किसी भी प्रकार के चार/तीन पहिया वाहनों को लक्सा होकर रामापुरा चौराहा की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों को नीमामाई व कमच्छा की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा।
7. **लक्सा तिराहा –** लक्सा तिराहा से किसी भी प्रकार के चार/तीन पहिया वाहनों को रामापुरा चौराहा की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों को गुरूबाग तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा।
8. **रामापुरा चौराहा –** रामापुरा चौराहे से गौदोलिया की तरफ किसी दशा में 4 पहिया वाहन को नहीं जाने दिया जायेगा, इन वाहनों को लक्सा एवं बेनिया तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा।
9. **गोदौलिया चौराहा –** गौदोलिया चौराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को किसी भी दशा में मैदागिन व दशाश्वमेध घाट की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों रामापुरा एवं सोनारपुरा की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा। 2 पहिया वाहनों को गौदोंलिया स्थित मल्टीलेवेल पार्किंग में ही पार्क कराया जायेगाा।
10. **बेनिया तिराहा –** बेनिया तिराहे से किसी भी प्रकार के चार/तीन पहिया वाहनों को रामापुरा की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों में से 4 पहिया प्राइवेट वाहनों को बेनिया पार्किंग में पार्क कराया जायेगाा तथा 3 पहिया वाहन को पियरी की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा।
11. **लहुराबीर चौराहा –** लहुराबीर चौराहा से किसी भी प्रकार के चार/तीन पहिया वाहनों को बेनिया की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों मलदहिया चौराहा एवं काशिका तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा।
12. **मैदागिन चौराहा –**मैदागिन चौराहें से किसी भी प्रकार के वाहनों को थाना चौक होते हुये गौदोलिया की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। जिनमें 4 पहिया/3 पहिया/पैडल रिक्सा शामिल हैं को कबीरचौरा एवं विशेश्वरगंज तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा। 4 पहिया वाहन मैदागिन स्थित टाउनहॉल पार्किंग में पार्क कराये जायेंगे।
13. **विशेश्वरगंज तिराहा –**मछोदरी की तरफ से आने वाले समस्त प्रकार के वाहनो को विशेश्वरगंज तिराहा से आगे नही जाने दिया जायेगा, इन वाहनो को गोलगड्डा तिराहा की तरफ डायवर्ड कर दिया जायेगा।
14. **भदउ चुंगी तिराहा –** भदऊचुंगी से भैसासुर घाट की तरफ किसी भी प्रकार के वाहनों को नहीं आने दिया जायेगा। इन वाहनों को रेलवे कॉलोनी के मैदान में पार्क कराया जायेगा।
15. **सूजाबाद पुलिस चौकी –** सूजाबाद चौकी से सभी प्रकार के वाहनों को राजघाट की तरफ नहीं आने दिया जायेगा, इन वाहनों को रामनगर की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा जो लंका मैदान रामनगर में ही पार्क कराये जायेगें।
16. **आशियाना तिराहा** से किसी प्रकार के वाहनो को जे0एच0वी0 मॉल की तरफ नही जाने दिया जायेगा। इन वाहनो को अम्बेडकर चौराहा/मिण्ट हाउस की तरफ डायवर्ड कर दिया जायेगा।
17. **नेहरू पार्क तिराहा** से किसी प्रकार के वाहनो को जे0एच0वी0 मॉल की तरफ नही जाने दिया जायेगा। इन वाहनो को नदेसर तिराहा की तरफ डायवर्ड कर दिया जायेगा।

18. **<u>सिंहपुर अण्डरपास तिराहा</u>** से किसी प्रकार के वाहनो को सारनाथ की तरफ नही जाने दिया जायेगा। इन वाहनो को आजमगढ अण्डरपास की तरफ डायवर्ड कर दिया जायेगा।
19. **<u>रंगोलिया तिराहा</u>** से किसी प्रकार के वाहनो को सारनाथ की तरफ नही जाने दिया जायेगा। इन वाहनो को आशापुर चौराहा/पुराना आरटी कट की तरफ डायवर्ड कर दिया जायेगा।

<u>यातायात प्रतिबंधित वाहन क्षेत्र (NO Vehicle Zone)</u>

1. सुजाबाद से राजघाट पुल, नमोःघाट की तरफ।
2. भदऊचुंगी से राजघाट पुल एवं भैसासुर घाट की तरफ।
3. कज्जकपुरा कूड़ाघर से गोलगड्डा, विशेश्वरगंज की तरफ।
4. गोलगड्डा से विशेश्वरगंज मैदागिन की तरफ।
5. मैदागिन से बुलानाला, गौदोलिया की तरफ।
6. अस्सी से रविदास की तरफ।
7. ब्राडवे तिराहा से अग्रवाल तिराहा, सोनारपुरा से गौदोलिया की तरफ।
8. काशिका से पिपलानी तिराहा से मैदागिन चौराहे की तरफ।
9. लहुराबीर चौराहे से बेनिया तिराहे की तरफ।
10. रेखांकित स्थलों पर बैरियर लगाकर यातायात डायवर्जन रहेगा।

<u>पार्किगं व्यवस्था</u>

1. **सर्व सेवा संघ खाली मैदान में पार्किंग**
2. **पानी की टंकी के नीचे रेलवे का खाली मैदान में पार्किंग नमोघाट**
3. **बसन्ता कॉलेज कट के सामने एवं पानी की टंकी नीचे पार्किंग**
4. **मछोदरी पार्क पार्किंग**
5. **हरिश्चन्द्र डिग्री कालेज के सामने पार्किंगं**
6. **टाउन हाल मैदागिन पार्किंग**
7. **क्वीन्स कालेज का मैदान पार्किंग लहुराबीर**
8. **बेनिया बाग पार्किगं**
9. **मजदा सिनेमा पार्किंग लक्सा**
10. **गोदौलिया पार्किंग**
11. **अस्सीघाट पार्किग**
12. **कीनाराम आश्रम से लेकर रविन्द्रपुरी रोड पर पार्किंग**
13. **स्वर्वेद मन्दिर के पास पार्किंग**

नोट–

01. यातायात पुलिस द्वार शहर के 17 चिन्हित विभिन्न स्थानों पर ब्रेथ एनलाइजर से चेकिगं की जायेगी एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले के विरूद्व विधिक व दण्डात्मक कार्यवाही/सीज की जायेगी।
02. दिनांक 31.12.2024 एवं 01.01.2025 सड़क पर तेज गति से वाहन चलाने वाले व स्टंट करने वाले के विरूद्व शहर के 02 चिन्हित स्थानों पर स्पीड रडार गन के साथ टीम लगायी जायेगी व चेकिगं की जायेगी एवं विधिक व दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
03. नव वर्ष के अवसर पर यातायात पुलिस समस्त आम जनमानस के अपील करती है कि अपने वाहनों को निर्धारित पार्किगं स्थल पर ही पार्क करें। वाहनो को निर्धारित पार्किगं स्थल पर पार्क न करने पर क्रेन द्वारा वाहन को ले जाकर यातायात लाइन में सीज की कार्यवाही की जायेगी।

अतः सर्व सम्बन्धित से यातायात पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की **विनम्र अपील है कि अपने वाहनो को निर्धारित पार्किगं स्थल में पार्क करें एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन ले जाने का प्रयत्न न करें। उपरोक्तानुसार पालन करते हुये नव वर्ष** को सकुशल सम्पन्न कराने में यातायात पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

दिनांकः–दिसम्बर, 2024

अपर पुलिस उपायुक्त यातायात
कमिश्नरेट वाराणसी।